

प्रेम,

शिव प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदायकेन्द्र,
प्रति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तखतक: दिनांक:

29 जून, 2005

विषय:-

मार्निंग स्टार चिल्ड्रेन अकादमी करमर रोड, उरई, जनपद-जालौन को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कडने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौतापटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 या उ0मि0शा परीक्षा द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न बक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बोतक शिक्षा परिषद से सान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वा मिनेश नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सान्यता तथा राज्यसरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे ।

- 151 संस्था के शैक्षिक एवं शैक्षणिक कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनोपार्जित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

शिव प्रकाश गुप्ता
संयुक्त सचिव ।

प्रसंख्या एवं दिनांक तैय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बॉली ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बालीन ।
- 4- निरीक्षक, आंजल भारतीय विद्यालय उओप्रो, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, मार्किंग स्टार चिल्ड्रेन अकादमी, कर्मेररोड उरई, बालीन ।
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश गुप्ता
संयुक्त सचिव ।